

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश
संख्या-एम0ई0-3/2021/1328 लखनऊ: दिनांक 26 मई, 2021

कार्यालय आदेश

कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के चिकित्सा उपचार हेतु राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, अयोध्या, बहराइच, अम्बेडकरनगर, बदायूँ, जालौन, आजमगढ़ तथा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर, मिर्जापुर, देवरिया, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई, गाजीपुर, जौनपुर, एटा, प्रतापगढ़ के नियुक्त सीनियर/नॉन पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्टों को राजकीय जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर/किंग जार्ज, चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय, नोयडा/राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोयडा में तैनात किये जाने के विभिन्न आदेश निर्गत किये गये थे।

09 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने हेतु निकट भविष्य में नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। अतएव इसे दृष्टिगत रखते हुए कालेजों में तैनात किये गये समस्त सीनियर रेजीडेण्ट/नॉन पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्टों को कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि इनकी तैनाती समस्त मेडिकल कालेजों/संस्थान/विश्वविद्यालय से तत्काल प्रभाव से समाप्त कर मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। अतः समस्त कालेजों के सीनियर रेजीडेण्ट/नॉन पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्टों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

तदनुसार उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना से इस महानिदेशालय को अवगत कराया जाये।

(सौरभ बाबू)
महानिदेशक